

## राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.4(5)कार्मिक / क-4 / 2006

जयपुर, दिनांक : 16-12-2016

### आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-31 के अन्तर्गत राजस्थान तहसीलदार सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को आवश्यक रूप से पूर्णतया आवश्यक अस्थाई आधार (तदर्थ) नियुक्ति पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि
1	बद्रीलाल राठौड़ / रामनारायण	01.01.1960
2	प्रभुदयाल	04.05.1959
3	श्वेता यादव / के.के. यादव	08.06.1983
4	रामधन मीणा / भागूराम (एसटी)	04.08.1957
5	चेतन कुमार त्रिपाठी / रघुवंश किशोर	02.01.1977
6	जावेद अली / सिकन्दर अली	03.08.1975
7	पंकज शर्मा / मोहनलाल शर्मा	02.02.1972
8	जगत राजेश्वर / एच.आर. चौधरी	10.01.1974
9	रामसिंह राजावत / माधोसिंह	01.01.1976
10	दिवांशु शर्मा / देवकीनन्दन	05.10.1974
11	दौलतराम / अणदाराम	10.07.1977
12	बनवारीलाल सिनसिनवार / किशनलाल	05.12.1975
13	राजपाल यादव / रतिराम यादव	08.07.1972
14	लक्ष्मीकान्त कटारा / मदनलाल	06.08.1972
15	रमेश देव / देवाराम	02.05.1978
16	महेश चन्द मान / गोरुराम	08.08.1974
17	युगान्तर / दामोदरलाल शर्मा	23.02.1976
18	बाबूलाल जाट / बरनाराम	15.02.1973
19	मनीष कुमार / रणवीर सिंह	02.04.1977
20	दुर्गाप्रसाद मीणा / मोल्याराम (एसटी)	04.05.1976
21	विजेन्द्र कुमार मीणा / टीकाराम (एसटी)	10.12.1979


यह पदोन्नतियां निम्नांकित शर्तों पर की जाती हैं :-

- (1) उक्त पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक-अस्थाई आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार, प्रदत्त किये, दी जा रही है।
- (2) जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है, उस पद से कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
- (3) आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
- (4) पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (5) आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
- (6) आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति केवल आगामी नियमित पदोन्नति से राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
- (7) इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।

*Arvind*

कम संख्या 4 से 22 पर अंकित अधिकारियों की पदोन्नति कार्मिक (क-2) विभाग की आई. डी.संख्या 1334/क-2/कार्मिक/2016 दिनांक 23.11.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर की जाती है। उक्त सभी अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
विशेषाधिकारी  
फोन नं. 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
विशेषाधिकारी

**राजस्थान सरकार**  
**कार्मिक (क-4) विभाग**

क्रमांक : प. 4(5)कार्मिक/क-4/2015

जयपुर, दिनांक : 16-12-2016

**आज्ञा**

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम - 28बी के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2015-16 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)	विवरण
1.	महावीर जैन	श्री देवी सिंह के नीचे तथा श्री रामचन्द्र मीणा के ऊपर
2.	दीपाली भागोटिया (अजा) (सामान्य रिक्ति के विरुद्ध)	श्रीमती प्रीति पंवार के नीचे तथा श्रीमती संगीता मीणा के ऊपर
3.	मनमोहन व्यास	श्री सुरेश चन्द गोयल के नीचे
4.	लियाकत हुसैन	श्री मनमोहन व्यास के नीचे तथा श्री महेन्द्र सिंह यादव के ऊपर

निम्नांकित अधिकारियों के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबंद लिफाफे में रखी जाती है :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)
1.	भारत भूषण गोयल
2.	बृजलाल मीणा (अजजा)

श्री सुरेश कुमार खटीक (अजा) के संबंधित वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनका प्रकरण यथावत डेफर किया जाता है।


श्रीमती दीपाली भागोटिया (अजा) का सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध चयन तथा श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर के लिए पद रिक्त रखे जाने के कारण सामान्य वर्ग की रिक्तियों में चयनित कनिष्ठतम अधिकारी सर्वश्री हेताराम चौहान एवं हनुमानसिंह राठौड़ का नाम कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2015-16 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
विशेषाधिकारी  
फोन नं. 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
विशेषाधिकारी

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(4)कार्मिक/क-4/2011

जयपुर, दिनांक : 16.12.2016

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम - 28बी के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)	वर्ष	विवरण
1.	दीनानाथ बबल (अजा)	2012-13	श्री हरफूल पंकज के नीचे एवं श्री राजेश कुमार के ऊपर
2.	कैलाश चन्द/ महावीर	2012-13	श्री सतवीर के नीचे
3.	श्याम मनोहर गौतम	2012-13	श्री भूर सिंह के ऊपर
4.	रामरख मीणा (अजजा)	2014-15	श्री अमृत लाल डामोर के नीचे


निम्नांकित अधिकारियों के प्रकरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबंद लिफाफे में रखी जाती है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)	वर्ष
1.	दशरथ लाल मीणा (अजजा)	2011-12
2.	मणिलाल तीरगर (अजा)	2011-12
3.	राकेश कुमार गुप्ता	2014-15

निम्नांकित अधिकारियों के संबंधित वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनके प्रकरण वर्ष 2013-14 में यथावत डेफर किये जाते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)
1.	महेन्द्र कुमार मीणा (अजजा)
2.	गणेश लाल
3.	बंशीधर/ डेलूराम
4.	केशवचन्द शर्मा
5.	आकाश रंजन

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
विशेषाधिकारी  
फोन नं. 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. (उपनिदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
विशेषाधिकारी